प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
देवीपाटन मण्डल,
शिक्षा भवन, फैजाबाद।

सेवामें,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र प्रीत बिहार
नई दिल्ली–110092

पत्रांकः– सी0बी0एस0ई0 / — /2018–19 दिनांक– 22·11·18

विषय– **गीता इन्टरनेशनल स्कूल जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोण्डा को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गीता इन्टरनेशनल स्कूल जयनगरा बलरामपुर रोड गोण्डा (उ0प्र0)को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर राजाज्ञा संख्या–1916–15–7–09–1(299)/2007 लखनऊ दिनांक 14.7.2009 में वर्णित प्राविधानो के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 20.11.2018 को आहूत की गयी। उक्त बैठक में समिति के सदस्यो की संस्तुति एवं सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तो जो शिक्षण संस्था द्वारा अपने सोसाइटी/ ट्रस्ट के बाइलाज में समाहित कर लिया गया है, का पालन करने के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय की प्रबंधसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार को कोई अनुदान की मॉग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्वता सी0बी0एस0ई0 /आई0सी0एस0ई0बोर्ड नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ङ) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उसका पालन करेंगी।

(ज) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारत प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(झ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्कूल बस में छात्र/छात्राओं की सुरक्षा हेतु जारी निर्देश संख्या–CBSE/AFF/Circular-8/2017/1217401 दिनांक–23.02.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त विद्यालय के मानक के अर्न्तगत दिये परिशिष्ट–3 के कम में 5, 6 जो निम्नवत् है–
विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाधयापक सहित सभी शिक्षण कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि यथास्थिति काउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन में वर्णित हो मुख्यतः कक्षा 12 के प्रधानाचार्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नाकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा–10 तक के प्रधानाध्यापक किसी मान्यता प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगें। कक्षा–11–12 में पढ़ाने वाले अध्यापक उस विषय के स्नाकोत्तर होंगें जिसमें शिक्षण कार्य किया जाना हो। कक्षा 9–10 में पढ़ाने वाले अध्यापक संबंधित विषय के साथ स्नातक एवं प्रशिक्षित होने चाहिए। पूर्व माध्यमिक कक्षा –6 से 8 तक अध्यापक स्नातक एवं प्रशिक्षित होने के साथ ही साथ सी0टी0ई0टी0 अथवा यू0पी0टी0ई0टी0

जूनियर स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिये। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण के लिए स्नातक ,बी0टी0सी0 प्रशिक्षण के साथ सी0टी0ई0टी0 अथवा यू0पी0टी0ई0टी0 प्राथमिक स्तर या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

प्रत्येक ऐसे विद्यालय के लिए सेवा शर्तें बनायी जायेगी जिसमें परिवीक्षा काल, स्थायीकरण तथा दण्ड के संबंध में विधिसम्मत प्रकिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही अवकाश नियम, पेंशन,ग्रेच्युटी,बीमा, पी0एफ0तथा अन्य कल्याणकारी योजना का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। सेवा शर्तें समता, समानता, धर्म जाति, भाषा लिंग से रहित नैसर्गिक न्याय तथा संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहियें।

विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कम से कम वही वेतनमान तथा अन्य भत्ते होगे जो राज्य सरकार के शासकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को समय-समय पर दिये जाते है किन्तु किसी कारणवश विद्यालय की आय क्षमता इतनी न हो तो वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से किसी भी दशा में कम नही होना चाहिए। उपर्युक्त शर्तो के अतिरिक्त विद्यालय अन्य शर्तो को भी पूरा करेंगें।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा यदि इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई तथ्य गोपन किया गया हो अथवा किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धोंका पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करने का अधिकार राजाज्ञा संख्या-1916/15-7-09-01(299)/2007 दिनांक-14 जुलाई, 2009 में वर्णित प्राविधानों के अर्न्तगत गठित समिति में सुरक्षित रहेगा।

भवदीय

(मनोज कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
देवीपाटन मण्डल
शिक्षा भवन-फैजाबाद।

पृ0सं0:-सी0बी0एस0ई0/ 1660-67 /2018-19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त महोदय देवीपाटन मण्डल गोण्डा।
3. शिक्षा निदेशक मा0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ।
4. जिलाधिकारी गोण्डा।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्रबन्धक, गीता इन्टरनेशल स्कूल, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोण्डा।
8. कार्यालय गार्ड फाइल।

संयुक्त शिक्षा निदेशक
देवीपाटन मण्डल
शिक्षा भवन-फैजाबाद